फैक्स / तत्काल

संख्याः–372 / 1–11–2016–7(जी) / 2016

प्रेषक,

अरविन्द कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

जिलाधिकारी,

पीलीभीत, लखीमपुरखीरी, बाराबंकी, गोण्डा, बलिया, गाजीपुर, हमीरपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, मिर्जापुर एवं चन्दौली।

राजस्व अनुभाग–11 लखनऊ : दिनॉक : 29 अगस्त, 2016

**विषयः– बाढ से प्रभावित परिवारों को खाद्यान्न एवं अन्य राहत सामग्री दिये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या–370 / 1–11–2016–7(जी) / 2016, दिनांक 27.08.2016 द्वारा भारत सरकार के आदेश संख्या–32–7 / 2014–एन0डी0एम0– प्रथम, दिनांक 08.04.2015 के प्रस्तर- 3(क) मे दी गयी व्यवस्था के कम में राहत शिविरों में रह रहे व्यक्तियों को भोजन हेतु खाद्यान्न एवं राहत सामग्री दिये जाने के दिशा–निर्देश दिये गये हैं।

2– उक्त के अतिरिक्त भारत सरकार के आदेश के प्रस्तर–1 (ई) में यह भी व्यवस्था है कि उन परिवारों के लिये अहैतुक सहायता जिनकी आजीविका प्राकृतिक आपदा से गम्भीर रूप से प्रभावित हुई है, और जो राहत कैम्पो मे नहीं रह रहे हैं, उनके लिये रू0 60 / – प्रति वयस्क और रू0 45 / – प्रति अवयस्क 30 दिन तक व्यय किया जा सकता है। राज्य सरकार प्रमाणित करेगी कि ये लाभार्थी राहत शिविरों मे नहीं रह रहे हैं। अग्रेत्तर राज्य सरकार इनको लाभ पहुंचाने का आधार एवं प्रकिया निर्धारित करेगी।

3– इस सम्बन्ध मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उन परिवारों, जिनकी आजीविका प्राकृतिक आपदा (बाढ) से गम्भीर रूप से प्रभावित हुई है, और जो राहत कैम्पो मे नहीं रह रहे हैं, को भी प्रति परिवार 20 किग्रा0 आटा, 20 किग्रा चावल, 4 किग्रा दाल, 15 किग्रा आलू, 5 लीटर मिट्टी का तेल, 1 साबुन, 10 मोमबत्ती एवं 5 पीस माचिस राहत सामग्री के रूप मे वितरित करायी जाय।

4– सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा स्थानीय आवश्यकता के अनुसार अहैतुक सहायता दिये जाने के लिये सम्यक प्रकिया एवं चयन का आधार निर्धारित किया जायेगा।

5– पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या–370 / 1–11–2016–7(जी) / 2016, दिनांक 27.08.2016 में उल्लिखित शर्तें यथावत रहेगी।

अतः अनुरोध है कि शासन द्वारा खाद्यान्न वितरण के सम्बन्ध में दिये गये उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अरविन्द कुमार)
प्रमुख सचिव।

Scanned by CamScanner

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

10. महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद ।

11. सम्बन्धित मण्डलायुक्त।

12. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ ।

13. निजी सचिव, सचिव एवं राहत आयुक्त, उ0प्र0 शासन ।

14. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, संगठन, उ0प्र0।

15. सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी ।

16. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 योजना भवन, लखनऊ को राहत की वेबसाइट एचटीटीपी//राहत.यू0पी0.एनआईसी.इन पर अपलोड किये जाने हेतु ।

17. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5

18. गार्ड फाइल

आज्ञा से,

( डी0के0 सिंह )

सचिव एवं राहत आयुक्त।

Scanned by CamScanner